राजस्थान–सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

क्रमांकः– प.2( )स्था0.राज0 / 2019 / **दिनांकः–** मार्च, 2019

–:: परिपत्र ::–

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76) कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वर्ष 2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण स्वयं के SSO –ID से लोगइन कर राज–काज साफटवेयर में IPR Module द्वारा ऑनलाईन स्वयं के द्वारा किये जाने हेतु अंतिम दिनांक 31.01.2019 तक अनिवार्य रूप से भरें जाने हेतु निर्धारित की गयी थी। किन्तु कई चिकित्सको /अधिकारियों द्वारा उनकी अचल सम्पति की घोषणा अब तक नहीं की गयी हैं। अतः जिन चिकित्सको /अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति की घोषणा अब तक नहीं की गयी है, उन्हें कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.03.2019 द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 30.04.2019 तक अचल सम्पति की घोषणा करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। इस दिनांक तक भी यदि किसी चिकित्सक / अधिकारी द्वारा अचल सम्पति की घोषणा नहीं की जाती है तो अगामी 1.07.2019 को देय वार्षिक वेतन वृद्वि ,पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नहीं कि जावेंगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगें।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः– प.2( )स्था0.राज0 / 2019 / 848 **दिनांकः–** 22 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक(क–1 / गो.प्र.) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा, गोविन्द मार्ग, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रथम / द्वितीय।
5. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय कोटा।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त चिकित्सक / राजपत्रित अधिकारी।
8. आई टी अनुभाग को वास्ते उक्त परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

आई० टी० अनुभाग